उम्मीदवारों की जानकारी के लिए नीचे दी गयी सेवाओं का उपयोग करें

(दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जानकारी मतदान तिथि से एक हफ्ते पहले नीचे दी गयी सेवाओं पर उपलब्ध होगी।)

मिस्ड कॉल करें: **08010445555**

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें: **1-800-110-440**

अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें

www.myneta.info, www.adrindia.org

एसएमएस करें: **Myneta <PINCODE or CONSTITUENCY> to 56070 or 09212356070**

सोशल मीडिया

/adrindia.org @adrspeaks /adrspeaks /adrspeaks

सम्पर्क

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिर्फोम्स
टी–95 , सी.एल. हाऊस, द्वितीय तल,
नज़दीक गुलमोहर कमर्शियल काम्पलेक्स, गौतम नगर, नई दिल्ली– 110049,
फोन नं.: 011–4165 4200,7840067840 फैक्स नं: 4609 4248
ई–मेल: adr@adrindia.org
पत्रकार हेल्पलाइन नं: 8010394248

ADR Association for Democratic Reforms

myneta.info National Election Watch

मेरा वोट, मेरी दिल्ली

इस चुनाव में, एक साफ छवि वाले और ईमानदार उम्मीदवार के लिए मतदान करने की शपथ लें, जो अच्छा काम करें।

जाति, धर्म, पंथ, लिंग, धन और उपहार के आधार पर मतदान न देकर एक जिम्मेदार मतदाता बनें।

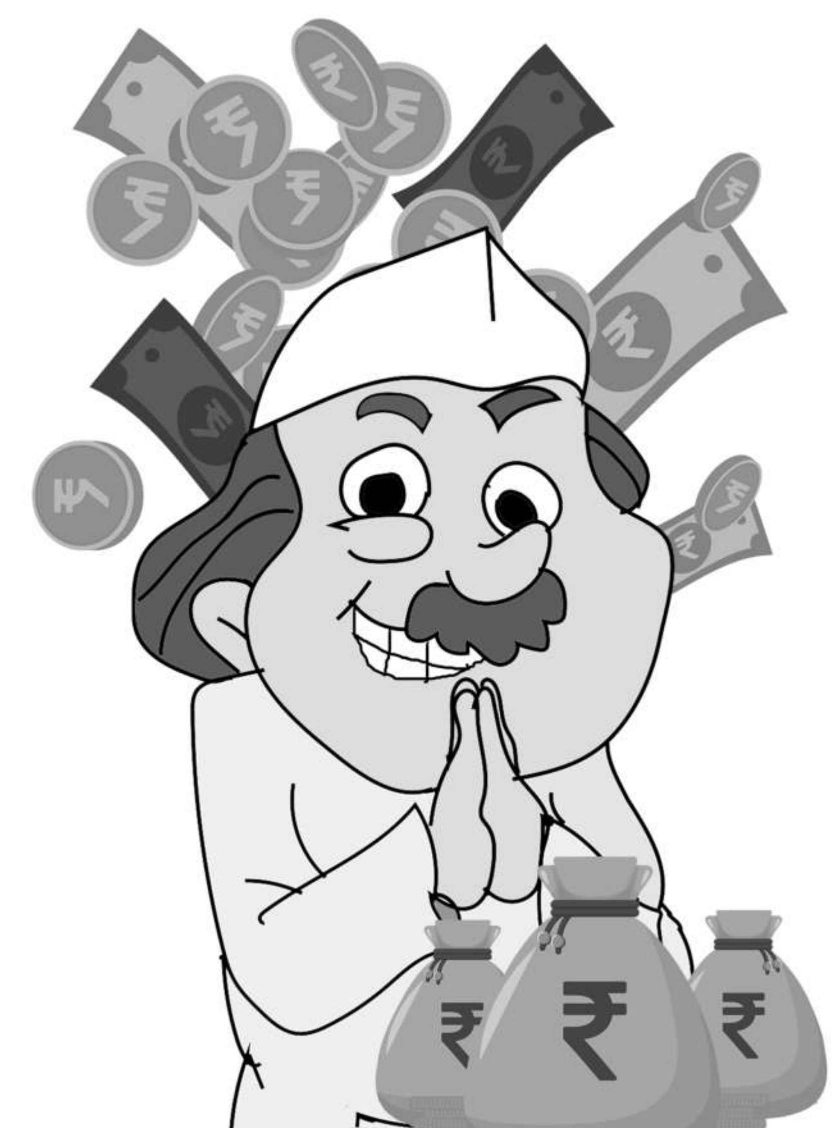

नेशनल इलेक्शन वॉच क्या है? यह क्या करता है?

- यह देश में चुनाव–सुधारों के लिए कार्यरत 1200 से अधिक अराजनीतिक,निष्पक्ष गैर–सरकारी संगठनों का राष्ट्रव्यापी अभियान है।
- मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देकर जागरुक बनाता है और इस प्रकार उन्हें सोच–समझकर फैसला करने में समर्थ बनाता है।
- लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भ्रष्ट तरीकों के इस्तेमाल की निगरानी करने में नागरिक समाज के पहरेदार के रूप में काम करता है।
- राजनीतिक पार्टियों के कार्यकलापों और कोष–संग्रह में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है।

आपका लोकतंत्र.....आपकी भूमिका

किसी लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग नागरिक होते हैं क्योंकि उनपर संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधिओं को **चुनकर भेजने** की जिम्मेवारी होती है। स्व–सक्रिय जागरुक मतदाता लगातार जवाब मांगते हुए राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर सकता है कि वे चुनावों में ऐसे उम्मीदवारों को न उतारें जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल व बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं और अयोग्य हैं।

1. मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें।
2. आपके निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करें और दूसरों को भी इसे बताने का प्रयत्न करें।
3. चुनावों के दौरान अपने मत के बारे में सोच–समझकर फैसला करें।
4. स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का समर्थन दें और प्रोत्साहित करें।
5. ऐसे उम्मीदवारों का विरोध करें जो मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने के लिए अपने धनबल और प्रभाव का इस्तेमाल करता है।
6. अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सवाल पूछने में सूचना के अधिकार जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करें।
7. नागरिक समाज की गतिविधियों में सक्रियता के साथ हिस्सा लें और भागीदार बनें तथा उन लोगों के बीच जागरुकता भी फैलाएं जो इसके बारे में नहीं जानते।
8. राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकेट नहीं देने के लिए मजबूर करें ।
9. फेसबुक, टिव्टर और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया द्वारा फैलाये जाने वाली फेक न्यूज एवं गलत जानकारी को बिना विश्लेषण किये बढ़ावा न दें।
10. जांच करें की, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेश अनुसार सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का आपराधिक विवरण टीवी, अखबार एवं सोशल मीडिया पर 3 बार प्रचारित किया है या नही।

चुनावों के दौरान कौन–कौन से खर्च अवैध और आपराधिक हैं?

- मतदाताओं को शराब या नगद घूस देना या किसी दूसरे प्रकार से प्रभावित करना कानूनन अपराध है।
- पेड–न्यूज़: किसी समाचार संस्थान के किसी अधिकारी को किसी समाचार को प्रकाशित करने के एवज में भुगतान करना अपराध है।
- विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किसी उम्मीदवार द्वारा रू. 28 लाख से अधिक खर्च करना कानूनन अपराध है। किसी भी राज्य के लिए लोक सभा व विधानसभा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
- किसी उम्मीदवार के पक्ष में उसकी सहमति के बगैर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा विज्ञापन दिया जाना कानूनन अपराध है और अगर उसकी सहमति से दिया जाए तो उसे चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा।
- चुनावी पोस्टर, होर्डिंग्स इत्यादि को मुद्रक के नाम के बगैर प्रकाशित करना अवैध है।

NOTA क्या है?

NOTA बटन ने 2013 में विधानसभा चुनाव में अपनी शुरूआत करी। आपके क्षेत्र में विधायक अथवा सांसद पद के लिए कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। यदि आपको लगता है कि इनमे से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित होने योग्य नही है तो आप इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में **NOTA** बटन ''उपरोक्त में कोई नहीं'' का प्रयोग करके सभी उम्मीदवारों का बहिष्कार कर सकते हैं।

दिल्ली लोकसभा 2019

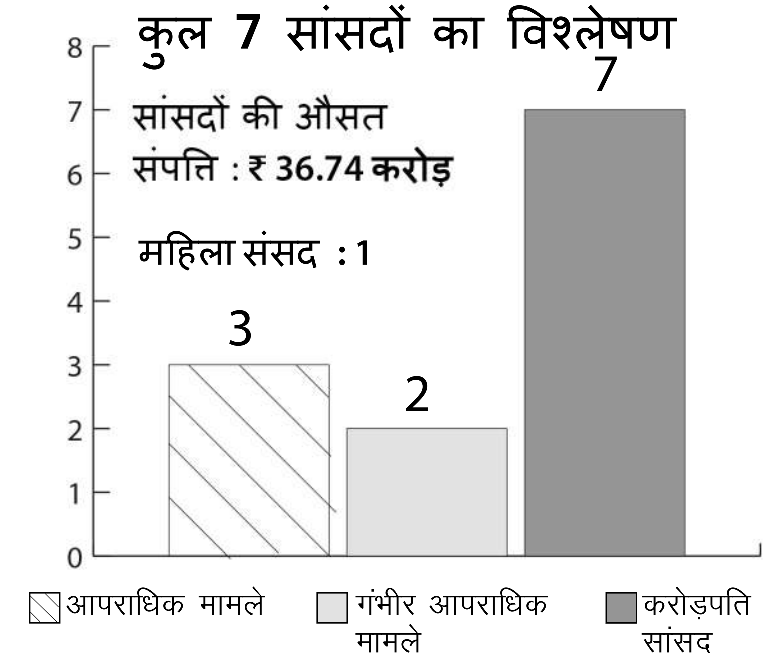

दिल्ली विधानसभा 2013

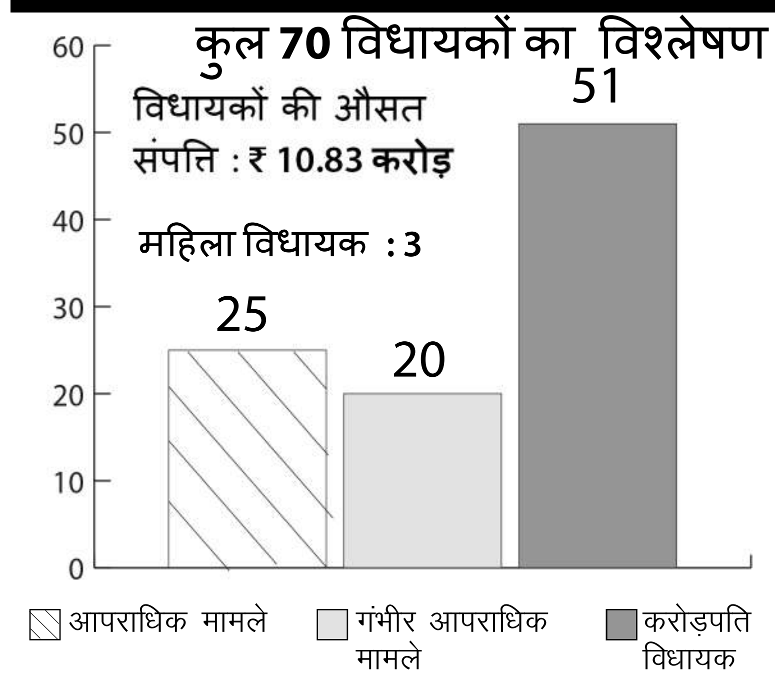

दिल्ली विधानसभा 2015

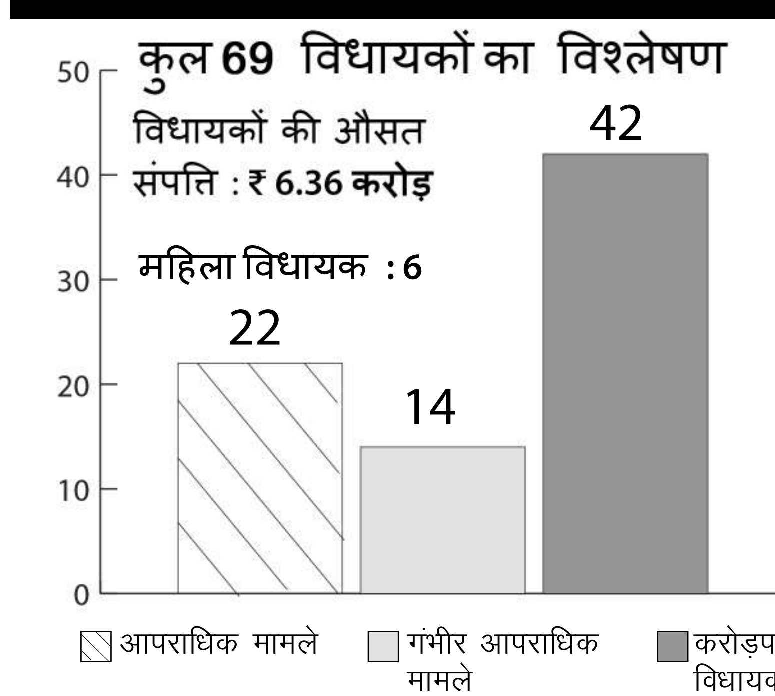

दिल्ली विधानसभा 2015 विधायकों के गंभीर आपराधिक मामले–दलवार

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में 22 विधायकों ने अपने पर आपराधिक मामले घोषित किये हैं इनमे 14 विधायकों ने अपने पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं जैसे– हत्या, हत्या का प्रयास, ज़बरन वसूली, अपहरण, डकैती इत्यादि। नीचे की तालिका में आपराधिक मामले घोषित करने वाले विधायकों का दलवार आलेख दिया गया है

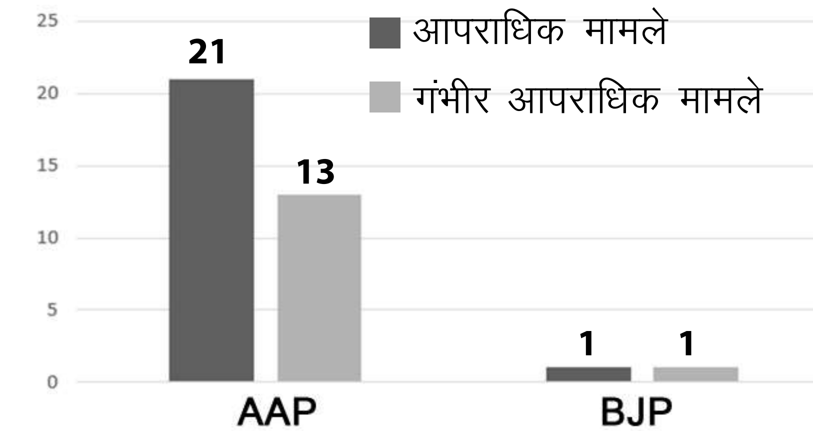

दिल्ली के राजनीतिक दलों के आय/व्यय का विवरण (वित्तीय वर्ष –2018–19)

दल	आय (₹ करोड़)	व्यय (₹ करोड़)
AAP	₹19.31 करोड़	₹16.11 करोड़
CPM	₹100.96 करोड़	₹76.15 करोड़
BSP	₹69.79 करोड़	₹48.878 करोड़
BJP	₹2410.08 करोड़	₹1005.33 करोड़
CPI	₹7.15 करोड़	₹5.79 करोड़
INC	₹918.03 करोड़	₹469.92 करोड़
NCP	चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।	
कुल योग	**₹3525.32** करोड़	**₹1622.18** करोड़

राजनीतिक दलों के आय/व्यय की और ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट का लिंक हैं :

www.myneta.info/party/